तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 152/2024 (2024/372) अनवान जीवराज बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-2-26	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 309 वाके राजस्व ग्राम कांकाणी प.म. कांकाणी खसरा नम्बर 309 में आई हुई है। इसमें प्रार्थी का नाम जीवराज के स्थान पर बोलता नाम जवन्ताराम दर्ज कर दिया गया है। एवं पिता का नाम बालूराम के स्थान पर बलूराम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम जीवराज एवं पिता का नाम बालूराम है। जो कि लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया जिसे राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जवन्ताराम पुत्र बलूराम के स्थान पर जीवराज पुत्र बालूराम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/राजकाज रेफरेन्स न. /2362 दिनांक 04.08.2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल मिसल किया गया। जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 558 में प्रार्थी का नाम जसवन्तराम पुत्र बलूराम दर्ज किया तत्पश्चात पुनः दर्ज नामान्तरकरण संख्या 850 में जवताराम पुत्र बलूराम दर्ज किया गया है। उक्त नाम बैचान दस्तावेज अनुसार ही दर्ज किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की राजस्व कार्मिको की त्रुटि होना गलत बताया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सूनी गई। तथा पत्रावली के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्राम कांकाणी के खसरा नम्बर 309 में प्रार्थी का नाम जवन्ताराम पुत्र बलूराम दर्ज है। जो तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार जरिये बैचाननामें के नामान्तरकरण संख्या 850 के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ जो सही है। परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा अधार कार्ड, डाईविग लाईसेंस, परिचय पत्र, पेनकार्ड इत्यादि में जीवराज पुत्र बालूराम दर्ज है। इस वजह से प्रार्थी का नाम व पिता के नाम में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है। कि ग्राम कांकाणी के खसरा नम्बर 309 में प्रार्थी का नाम जवन्ताराम पुत्र बलूराम के स्थान पर जीवराज उर्फ जवन्ताराम पि. बालूराम उर्फ बलूराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला–जोधपुर	